

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-1, नवादा।

पुनः अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 07 वर्ष 2025-26

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर)

1. कार्यों की विवरणी (योजना/शीर्ष/मद का नाम) : - सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण।

| ग्रुप संख्या | कार्य का नाम                                                                                                    | प्राक्कलित राशि (रूपये में) | अग्रधन की राशि (रूपये में) | परिमाण - विपत्र का मूल्य (केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान किया जाना है) (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में) | बीड प्रोसेसिंग शुल्क (केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान किया जाना है) (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 01           | 02                                                                                                              | 03                          | 04                         | 05                                                                                             | 06                                                                                         | 07                                 |
| 1            | ग्राम पंचायत बागीबरडीहा के ग्राम बहेरा भेलवा में सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण कार्य। (अर्धनिर्मित कार्य) | 20.80                       | 42,000.00                  | 5,000.00                                                                                       | 1180.00                                                                                    | 4 माह                              |

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक - 11.09.2025
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 23.09.2025 से 26.09.2025 को 3.00 बजे अपराह्न तक  
(सिर्फ वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर)
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 26.09.2025 समय 3.00 बजे अपराह्न। (सिर्फ वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर)
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 03.10.2025 समय 3.30 बजे अपराह्न  
(कंडिका 4 में उल्लेखित अंतिम तिथि से दो कार्य दिवस के पश्चात् की तिथि)।  
(सिर्फ वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर)
6. निविदा खोलने का स्थान : सिर्फ वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर
7. निविदा की वैधता अवधि : 90 दिन
8. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को eproc-2 के साथ निबंधन कराना होगा, वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। User ID, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
9. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई-मेल आईडी0-eproc2support@bihar.gov.in, Working Hours 8:00 am to 7:00 pm से प्राप्त किया जा सकता है। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी eproc2.0 helpdesk, Address-mjunction services ltd., R.J. Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-800014 से प्राप्त किया जा सकता है।
10. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाइट पर ही निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित

करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त होगी। विस्तृत जानकारी एवं शर्तों के लिए वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) देखा जा सकता है।

11. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (ख) के अन्तर्गत 15 लाख से 25 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में नवादा जिला के लिए निबंधित संवेदको से निविदा आमंत्रित की जाती है।
12. (i) e-proc 2.0 प्रणाली के तहत मात्र online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किये जायेंगे यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाना आवश्यक हो तो मात्र B.G (Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जायेगा, संवेदक निविदा कागजात के साथ B.G को Scan कर अपलोड करेंगे तथा B.G भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में आवश्यकतानुसार जमा करेंगे। e-proc 2.0 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway/Challan के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, नवादा के नाम से भारतीय Schedule बैंक से निर्गत होना आवश्यक है (BG का निर्गमन तिथि निविदा प्रकाशन के बाद की होनी चाहिए), इस प्रणाली के तहत बैंक गारण्टी के ऑनलाईन सत्यापन की व्यवस्था होगी।  
(ii) बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, पटना के कार्यालय आदेश सं0 07 दिनांक 10.01.2024 के अनुसार निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे- सभी शपथ पत्र (मूल में) बैंक गारंटी (मूल में) एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।  
(iii) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।  
(iv) बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन ई एफ टी/आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।  
आवश्यक ऑनलाईन भुगतान के साथ बीड, इस निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित तिथि एवं समय से पहले, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इन्टरनेट कनेक्शन, नेटवर्क ट्रैफिक/अवकाश (छुट्टियाँ) या अन्य किसी भी कारण से हुए विलम्ब/निविदा सबमिट (Submit) नहीं होने/ऑनलाईन के रीकनसिलिएशन (Reconciliation) नहीं होने की स्थिति के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।  
("Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."  
"Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason.")
13. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख पीडीएफ (Pdf), एमएस ऑफिस (MS Office), कम्पैटीबिलिटी मोड (Compatibility Mode), जेपीईजी फॉरमेट (JPEG Format) में ही अपलोड (Upload) किये जाए, अन्य फारमेट (Format) में अपलोड डॉक्यूमेंट्स (Upload Documents) के डाउनलोड/ओपन (Download/Open) नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की डाउनलोडेबिलिटी/विजिबिलिटी (Downloadability/Visibility) से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
15. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।



16. बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12.00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी।
17. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन, कचैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
19. (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (Debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।
- (ii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि :-
- (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।
- (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड (Record) खराब रहा हो अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो।
- (iii) पार्टनरशिप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने का पात्र नहीं होगी।
20. निविदा दर प्रस्ताव के साथ तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/वांछित सूचनाओं पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) किया जाना है।
- (i) **अग्रधन**  
वेबसाइट पर टेंडर में निविदा प्रपत्र उपलब्ध है। ई-निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये स्वरूप में ही अग्रधन की राशि स्वीकार होगी।
- (ii) 15 लाख से 25 लाख तक के निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में नवादा जिला के लिए संबंधित पथ प्रमंडल से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
- (iii) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की छाया प्रति।
- (iv) पैन कार्ड की छाया प्रति।
- (v) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
- (vi) GST निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
- (vii) घोषणा का शपथ पत्र :-  
"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) .....  
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा डिबार (Debar), ब्लैकलिस्टेड (Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर रिसाइन्ड (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं।

उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार, मेरे/हमारे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे/हमारे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।"

21.

#### प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए।

(ख) अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee)

परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदकों से एकरारनामा के पूर्व पाँच (5) प्रतिशत जमानत की राशि (Security Deposit) के अतिरिक्त, अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जायेगी :-

- परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर :- 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।
- परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर :- 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।
- परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर :- 1 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।
- परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से अधिक कम उद्धृत दर :- 2 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।

#### उदाहरणस्वरूप :-

- 3 प्रतिशत कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee):-  
 $3 \times 0.25$  अर्थात् 0.75 प्रतिशत।
- 7 प्रतिशत कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee):-  
 $5 \times 0.25 + 2 \times 0.5 = 2.25$  प्रतिशत
- परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर के लिए  $5 \times 0.25 + 5 \times 0.5 = 3.75$  प्रतिशत

22

#### निविदा निष्पादन

- उपर्युक्त कंडिका 20 के (i) से (vii) में से कोई कागजात अपलोड (Up-load) नहीं करने एवं निर्धारित अवधि तक जमा नहीं करने की स्थिति में उनके तकनीकी बीड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा (निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत) अभिलेखों के जाँचोपरान्त निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
- निविदा खोलने के उपरान्त सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
- निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही आवश्यकतानुसार दर-प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

23

#### एकरारनामा



- (i) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण संहिता के प्रपत्र एफ-2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- (ii) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
- (v) अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा।
- (vi) एकरारनामा करने के समय पर संबंधित कार्यपालक अभियन्ता अद्यतन श्रम विभाग निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

24. भुगतान की प्रक्रिया

- (i) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरांत, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी एवं उसकी सी०डी० सम्बंधित सहायक अभियन्ता के माध्यम से प्रमंडल में जमा करानी होगी जिसे निर्धारित वेबसाइट पर प्रत्येक विपत्र के समय अपलोड किया जायेगा अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है।
- (ii) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) आवंटन उपलब्ध रहने पर विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार निश्चित रूप से करेंगे।

25. अन्य शर्तें

- (i) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अवधि विस्तार की स्वीकृत नहीं दी जायगी।
- (ii) संवेदक के विपत्र से अन्य आवश्यक कटौतियों के अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
- (iii) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र-संयंत्रों, गुण-नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
- (iv) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन (समकक्ष विस्कोस्टी ग्रेड के) अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनीयों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टे के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।
- (v) दस्तावेजों की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी, द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) ओवर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण-सह-स्थल-कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं GST इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा।
- (vii) अनुमानित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुरूप परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि देय होगी।
- (viii) दर के संबंध में और कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (ix) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- (x) सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- (xi) संवेदकों को कार्य समाप्ति के पश्चात एक वर्ष तक त्रुटियों के निराकरण की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
26. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकशरनामा का अंग होगा।

Akshat Kumar

11/9/25

कार्यपालक अभियंता

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1,  
नवादा।

ज्ञापांक :-

1875

दिनांक

12/9/25

प्रतिलिपि:-

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

Akshat Kumar

11/9/25

कार्यपालक अभियंता

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1,  
नवादा।

ODS